



चेकों के अनादरण संबंधी नीति

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्यसूची मद सं. ओ- 5 दिनांक 25.03.2022 के माध्यम से

परिचालन एवं सेवाएं
प्रधान कार्यालय
बड़ौदा

चेक के अनादरण संबंधी नीति

ए. कार्य क्षेत्र

यह नीति रु. 1 करोड़ और उससे अधिक के अस्वीकृत चेकों की प्रक्रिया से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं. DBOD.BC.Leg.113/09/ 09.12.001/2002-03 दिनांक 26 जून, 2003 और रु.1 करोड़ और उससे कम की राशि के चेकों के बार-बार अस्वीकार होने की घटनाओं से निपटने के लिए भा.रि.बैंक के परिपत्र सं. RBI/2009-10/213, DBOD. NO. Leg.BC.59/09.07.005/2009-10 दिनांक 9 नवंबर, 2009 तथा एनएसीएच/ ईसीएस अधिदेशों के बार-बार अस्वीकार की घटनाओं संबंधी कार्रवाई के लिए बैंकों में ग्राहक सेवाओं पर मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2015 पर आधारित है।

बी. चेक अनादरण संबंधी दिशानिर्देश

i. अनादृत चेकों की वापसी/ प्रेषण

1. भुगतानकर्ता शाखा को बैंक के समाशोधन गृहों के लिए एक समान विनियम और नियम के अनुसार संबंधित समाशोधन गृह के लिए निर्धारित वापसी प्रक्रिया का पालन करते हुए समाशोधन गृहों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए अस्वीकृत चेक को अनिवार्य रूप से वापस किया जाना चाहिए। ऐसे अस्वीकृत चेक प्राप्त होने पर संग्रहणकर्ता बैंक को इसे **तुरंत** आदाताओं/ धारकों को भेज देना चाहिए।
2. बैंक के भीतर दो खातों के बीच अंतरण के माध्यम से लेनदेन संबंधी मामले के निपटान के लिए भुगतानकर्ता बैंक को सीधे प्रस्तुत किए गए चेक के मामले में, ऐसे अस्वीकृत चेक को आदाताओं/ धारकों को **तुरंत** वापस कर देना चाहिए।
3. सभी खातों के संबंध में अपर्याप्त धन राशि के कारण अस्वीकार किए गए चेक को "**आरंभिक शेष अपर्याप्त**" का उल्लेख कारण सहित एक मेमो के साथ वापस किया जाना चाहिए।

ii. अनादृत चेक पर कार्रवाई:

प्रधान कार्यालय अनुलग्नक - 1 (भाग ए-1 और ए-2) और अनुलग्नक - 2 (भाग बी-1 और बी-2) के अनुसार संलग्न विवरणी के माध्यम से रु. 1.00 करोड़ और उससे अधिक के चेकों के अस्वीकरण की निगरानी करता है।

(भाग ए-1 के लिए चेक वापसी संबंधी डेटा वेयरहाउस से प्राप्त किया जाता है)

iii. बार-बार अनादरण की घटनाओं से निपटना:

1. ग्राहकों के बीच वित्तीय अनुशासन लागू करने की दृष्टि से खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान 4 अवसरों पर आहरणकर्ता के किसी विशेष खाते पर आहरित 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य के चेक के अनादरण की स्थिति में, कोई नई चेक बुक जारी नहीं

की जाएगी। साथ ही, बैंक अपने विवेक से खाता बंद करने पर भी विचार कर सकता है। हालाँकि, केश क्रेडिट खाते, ओवरड्राफ्ट खाते जैसे अग्रिम खातों के संबंध में, इन खातों में इन क्रेडिट सुविधाओं को जारी रखने या अन्यथा की स्थिति में समीक्षा मंजूरी प्राधिकारी से उच्च उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

2. मौजूदा खातों के संचालन के संबंध में ऊपर (1) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, बैंक की शाखाओं द्वारा ग्राहकों को नई चेक बुक जारी करते समय उचित सूचना दी जानी चाहिए।
3. जब वित्तीय वर्ष के दौरान चेक जारीकर्ता के किसी विशेष खाते में तीसरी बार चेक अस्वीकृत हो जाता है, तो संबंधित पक्ष का ध्यान आकर्षित करने हेतु बैंक द्वारा उपर्युक्त शर्तों के साथ-साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान समान खाते में चौथी बार चेक अनादृत के परिणामस्वरूप चेक सुविधा को बंद किए जाने संबंधी चेतावनी सूचना जारी की जानी चाहिए।

iv. अनादृत चेक के संबंध में साक्ष्य

किसी न्यायालय, उपभोक्ता फोरम या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में शिकायतकर्ता (अर्थात् चेक के भुगतानकर्ता / धारक) की ओर से प्रस्तुत चेक के अनादरण के तथ्य को साबित करने के लिए अनादृत चेक से संबंधित साक्ष्य जोड़ने के उद्देश्य से अनादृत चेक के मामले में वापसी कारण कोड और विशेष कारण का उल्लेख करते हुए चेक वापसी मेमो को जारी किया जाना चाहिए।

v. अनादृत चेक की वापसी:

अनादृत चेक को तुरंत, बिना किसी देरी के, किसी भी स्थिति में 24 घंटे के भीतर ग्राहक को लौटाने/भेजने संबंधी गोइपोरिया समिति की सिफारिश को अपनाया गया है और तदनुसार चेक निम्नानुसार लौटाए जाएंगे:

1. चेक वापसी संबंधी सूचना अनादृत चेकों के "चेक वापसी रजिस्टर" या सिस्टम में रखे गए रिकॉर्ड में ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए।
2. भुगतान शाखा को बैंकर के समाशोधन गृहों के लिए एक समान विनियमों और नियमों के अनुसार संबंधित समाशोधन गृहों के लिए निर्धारित वापसी प्रक्रिया का पालन करते हुए समाशोधन गृहों के माध्यम से प्रस्तुत अनादृत चेक को अनिवार्य रूप से वापस करना चाहिए।
3. संग्रहण शाखा को ऐसे अनादृत चेक प्राप्त होने पर इसे किसी भी स्थिति में अधिकतम 24 घंटे की अवधि के भीतर आदाताओं/ धारकों को तुरंत भेज देना चाहिए। यदि अगले दिन छुट्टी है, तो छुट्टी के पश्चात बैंक शाखा के प्रथम कार्य दिवस को इसे भेजा जाना चाहिए।
4. बैंक के भीतर दो खातों के बीच अंतरण के माध्यम से लेनदेन संबंधी मामले के निपटान के लिए भुगतान शाखा को सीधे प्रस्तुत किए गए चेक की स्थिति में, ऐसे अस्वीकृत चेक आदाताओं/ धारकों को किसी भी स्थिति में 24 घंटे के भीतर तुरंत वापस भेजे जाएं।

5. अनादृत चेक को बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक मेमो के साथ वापस किया जाना चाहिए जिसमें अनादृत होने का कारण दर्शाया गया हो।
6. आवक समाशोधन में प्राप्त चेक (हमारे ग्राहकों द्वारा आहरित किए गए और एमआईसीआर/नॉन-एमआईसीआर/सीटीएस केंद्रों पर संग्रहण के लिए अन्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए) खाते में उपलब्ध आरंभिक शेष के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे। सभी खातों से संबंधित ऐसे चेक जो अपर्याप्त धनराशि के कारण अनादृत किए गए हैं, उन्हें बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मेमो जिसमें अनादृत के कारण के रूप में “आरंभिक शेष अपर्याप्त” और वापस करने की तारीख का उल्लेख करते हुए वापस भेजना चाहिए।
7. स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में आहरित और अनादृत चेकों के संबंध में डेटा को ब्रोकर संस्थाओं से संबंधित एमआईएस के एक भाग के रूप में ऐसे चेक भले ही मूल्य जो भी हो अलग से समेकित किए जाने चाहिए और उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय कार्यालय नीति के अनुलग्नक में दिए गए प्रारूप के अनुसार बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को अवगत कराने के लिए प्राप्त डेटा को प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं।
8. शाखाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनादृत लिखत का पूरा और उचित रिकॉर्ड रखें और संबंधित रिकॉर्ड रखरखाव के लिए लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार यानी 10 साल – जिसमें न्यायालय, उपभोक्ता फोरम या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत करने के लिए रिकॉर्ड को संरक्षित किया जाए, जिसमें जहां भी संभव हो, आदाता को प्रेषण और डिलीवरी का प्रमाण भी शामिल है। शाखाओं को न्यायालय/उपभोक्ता फोरम/किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण सहयोग देना चाहिए।
9. यदि ऐसे चेक बिना डिलीवर किए वापस आ जाते हैं, तो उन्हें ताले में बंद करके भविष्य में संदर्भ के लिए बिना खुले डाक कवर के साथ पोस्ट मैन की टिप्पणी सहित सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए।

सी. चेक अनादरण होने के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के लिए प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश

सी.1) ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक राशि के लिए (हमारे ग्राहक द्वारा आहरित किए गए)

1. ग्राहकों के बीच वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, शाखाओं को चेक बुक सुविधा वाले खातों में परिचालन के लिए एक शर्त निर्धारित करनी चाहिए कि खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान 4 अवसरों पर आहरणकर्ता के किसी विशेष खाते पर 1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य के चेक के अनादरण की स्थिति में, कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी। साथ ही शाखा अपने विवेकानुसार खाते को बंद करने पर विचार कर सकती है।
2. तथापि, नकद ऋण खाता, ओवरड्राफ्ट खाता जैसे अग्रिम खातों के संबंध में, इन ऋण सुविधाओं को जारी रखने अथवा अन्यथा रखने की आवश्यकता और उन खातों से संबंधित चेक सुविधा - जहां खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण निधियों के अभाव में वित्तीय वर्ष के दौरान 4 अवसरों पर आहरणकर्ता के किसी विशिष्ट खाते से आहरित ₹ 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य के चेक

वापस कर दिए जाते हैं- की समीक्षा मंजूरी प्राधिकारी से उच्चतर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जानी होती है। तदनुसार, शाखाओं को ऐसी सूचना को क्रेडिट/समीक्षा प्रस्ताव में शामिल करना चाहिए जिसमें लौटाए गए चेकों, कारणों, की गई कार्रवाई आदि के ब्यौरे के साथ-साथ नीति के इस प्रावधान और स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश शामिल हों।

3. मौजूदा खातों के परिचालन के संबंध में, शाखाओं को नई चेक बुक जारी करते समय, संबंधितों को शर्त के संबंध में सूचना देनी चाहिए। (शर्त को ग्राहक हेतु निर्देश के साथ चेक बुक पर मुद्रित किया जाएगा)।
4. वित्तीय वर्ष के दौरान आहरणकर्ता के किसी विशेष खाते में यदि तीसरी बार चेक अनादृत किए जाते हैं, तो शाखाओं को संबंधित पक्ष को उपरोक्त शर्त की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए एक चेतावनी सूचना जारी करनी चाहिए और वित्तीय वर्ष के दौरान उसी खाते में चौथी बार चेक बाउंस होने की स्थिति में चेक सुविधा को रोक दिया जाना चाहिए। यदि शाखा द्वारा खाता बंद किया जाना है तो शाखा इसी तरह की चेतावनी सूचना जारी कर सकती है।

सी.2 ₹ 1 करोड़ से कम के लिए (हमारे ग्राहक द्वारा आहरित)

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 करोड़ रुपये से कम मूल्य के चेकों के बार-बार अनादरण को परिभाषित नहीं किया है। इस नीति के प्रयोजन के लिए, किसी भी खाते में, यदि अपर्याप्त धन राशि के अभाव में एक वित्तीय वर्ष में 6 अवसरों पर 1 करोड़ रुपये से कम के चेक अनादृत होते हैं, तो इसे चेक का बार-बार अनादरण माना जाएगा।
2. स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में आहरित किए गए और अस्वीकार किए गए चेकों के संबंध में डेटा को अलग से रिपोर्ट किया जाना चाहिए, भले ही उनका मूल्य जो भी हो।
3. ग्राहकों के बीच वित्तीय अनुशासन लागू करने की दृष्टि से, शाखाओं को चेक बुक सुविधा वाले खातों के संचालन के लिए एक शर्त निर्धारित करनी चाहिए कि खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारणों से वित्तीय वर्ष के दौरान 6 अवसरों पर आहरणकर्ता के किसी विशेष खाते पर ₹ 1.00 करोड़ रुपये से कम मूल्य के चेक के अनादरण की स्थिति में, कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी। साथ ही शाखा अपने विवेकानुसार खाते को बंद करने पर विचार कर सकती है।
4. तथापि, नकद ऋण खाता, ओवरड्राफ्ट खाता जैसे अग्रिम खातों के संबंध में, इन ऋण सुविधाओं और उन खातों से संबंधित चेक सुविधा - जहां चेक ₹1 करोड़ रुपये से कम मूल्य के हैं और आहरणकर्ता के किसी विशिष्ट खाते से आहरित हैं को अपर्याप्त धनराशि के कारणों से वित्तीय वर्ष के दौरान 6 अवसरों पर लौटा दिया जाता है - की समीक्षा मंजूरीकर्ता से उच्च प्राधिकारी द्वारा की जानी होती है। तदनुसार, शाखाओं को ऐसी सूचना को क्रेडिट/समीक्षा प्रस्ताव में शामिल करना चाहिए जिसमें लौटाए गए चेकों, कारणों, की गई कार्रवाई आदि के ब्यौरे के साथ-साथ नीति के इस प्रावधान और स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश शामिल हों।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान आहरणकर्ता के किसी विशेष खाते में यदि 5 अवसरों पर चेक अनादृत किए जाते हैं, तो शाखाओं को संबंधित पक्ष को पूर्वोक्त स्थिति की ओर उसका ध्यान आकर्षित करते हुए एक चेतावनी सूचना जारी करनी चाहिए और वित्तीय वर्ष के दौरान उसी खाते में 6ठी बार चेक अनादृत होने की स्थिति में चेक सुविधा को रोक देना चाहिए। यदि बैंक द्वारा खाता बंद किया जाता है तो इसी तरह की चेतावनी सूचना जारी की जा सकती है। **दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों को भेजे जाने वाले पत्र तैयार करने के लिए फिनेकल में एक मेनू प्रदान किया गया है।**

शाखाओं/ फील्ड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा उपर्युक्त प्रक्रियाओं के अनुपालन में किसी भी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और यथावश्यक निवारक कार्रवाई की जाएगी। जहां कहीं यह पाया जाता है कि अनादृत चेकों को लाभार्थी को विलंब से भेजा जाता है, आंतरिक जांच की जानी चाहिए और उसके बाद उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ऐसे अनादृत चेकों के आदाता/धारक को चेक अनादरण के तथ्य की सूचना देने में विलंब या रोक लगाने की कोई गुंजाइश न हो।

डी.2 आउटवर्ड समाशोधन में प्रस्तुत किए गए अनादृत चेकों की वापसी (यानी अन्य बैंकों में आहरित किए गए हमारे ग्राहकों की ओर से प्रस्तुत चेकों के लिए)

बैंक ने बहुत से शहरों में सिटी बैंक ऑफिसों (सीबीओ) में समाशोधन कार्य केंद्रीकृत कर दिए हैं, जिसके तहत शहर की सभी शाखाओं के संबंध में आवक और बाहरी समाशोधन का प्रसंस्करण सीबीओ में किया जाता है। ऐसे मामलों में भी, ऊपर्युक्त दिशा-निर्देश यथावत रहते हैं। तथापि, विभिन्न परिपत्रों और सीबीओ परिचालन मैनुअल के माध्यम से दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सीबीओ से भुगतानकर्ताओं/ संग्रहण शाखाओं को चेकों की वापसी की परिचालनगत प्रक्रिया का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए।

सीबीओ और शाखाओं को चेक वापसी के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि बैंक (जैसे सीबीओ/ हब/ कॉलेंकिंग शाखा आदि) ऐसे अनादृत चेकों की प्राप्ति पर भुगतानकर्ताओं/ धारकों को व्यक्तिगत रूप से तत्काल किन्तु लिखत की वापसी के अधिकतम 24 घंटे की अवधि के भीतर प्रेषित/ सुपुर्द करें। यदि अगले दिन छुट्टी है, तो उस छुट्टी के पश्चात सीबीओ/ हब/ शाखा का प्रथम कार्य दिवस को प्रेषित किया जाए।

डी. 2.1. सीटीएस समाशोधन:

अनादृत चेकों की वापसी के लिए यथोचित परिवर्तन सहित सीटीएस समाशोधन के अंतर्गत शाखाओं/ सीबीओ/ हबों हेतु लागू दिशा-निर्देश।

ई. एनएसीएच/ ईसीएस (डेबिट) अधिदेश का अस्वीकार: भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 25

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नब्बे के दशक की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक रूप से बल्क और बार-बार किए जाने वाले लेनदेनों को प्रभावी बनाने की एक नई विधि के रूप में पेश किया गया था।

राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) ईसीएस की तर्ज पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा संचालित एक भुगतान प्रणाली है, जिसमें निगम और बैंक सदस्य हैं। भौतिक अधिदेश कॉर्पोरेट्स/ प्रायोजक बैंकों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और अधिदेश प्रबंधन प्रणाली (एमएमएस) के माध्यम से एनपीसीआई को भेजे जाते हैं। गंतव्य बैंक एमएमएस के माध्यम से अधिदेश प्राप्त करते हैं और उन्हें अपने सीबीएस में अधिकृत करते हैं। अधिदेशों की स्ट्रेथ पर प्रायोजक बैंकों द्वारा भविष्य के डेबिट रेज़ किए जाते हैं। ईसीएस अधिदेशों की स्वीकृति अब बैंकों द्वारा रोक दी गई है और केवल एनएसीएच अधिदेश को स्वीकार किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ईसीएस प्रणाली को अब एनएसीएच में माइग्रेट किया जा रहा है।

एनएसीएच/ ईसीएस (डेबिट) के मामले में ग्राहक अपने खाते में टेलीफोन, बिजली एवं बीमा प्रीमियम जैसे विभिन्न बिलों के भुगतान के लिए डेबिट करने और अपने खाते में पुनरावृत्तीय डेबिट करने के लिए अधिदेश देता है। इस अधिदेश को हस्ताक्षर के सत्यापन के बाद प्रणाली में पंजीकृत किया जाता है। शाखाएं इस प्रणाली के माध्यम से अधिदेश क्रम संख्या सृजित करेंगी जिसका उल्लेख भौतिक अधिदेश पत्र पर भविष्य के संदर्भ के लिए किया जाएगा। शाखाओं को उपयोगकर्ता संस्थान/ सेवा प्रदाता को पत्र भेजना चाहिए जिसमें अधिदेश पत्र की फोटोकॉपी (मूल प्रति शाखा में रखी जाए) होनी चाहिए और यूजर डेबिट संदर्भ (यूडीआर) संख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करना चाहिए और उल्लेख करना चाहिए कि अधिदेश केवल यूडीआर संख्या प्राप्त होने पर ही प्रभावी होगा। इस पत्र की एक प्रति सूचना के लिए खाताधारक को इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

एनएसीएच/ईसीएस (डेबिट) को रिटर्न करने की प्रक्रिया:

एनएसीएच/ ईसीएस डेबिट तब रिटर्न किए जाते हैं जब खाते में पर्याप्त शेषराशि उपलब्ध नहीं होती है, खातों को बंद कर दिया जाता है या खाते के विवरणों में विसंगति होती है।

यदि किसी विशेष वित्त वर्ष में 6 बार अपर्याप्त धनराशि के कारण एनएसीएच/ ईसीएस डेबिट वापस किए जाते हैं, तो शाखा को नोटिस जारी करना चाहिए और एनएसीएच/ ईसीएस के अधिदेश को उपयोगकर्ता संस्थान/ सेवा प्रदाता को सूचित करते हुए इसे रद्द माना जाना चाहिए। इसके अलावा शाखा ग्राहक को उचित नोटिस देकर अपने विवेक से खाते को बंद करने पर विचार कर सकती है।

पूर्व में बंद खातों की स्थिति में, शाखा को अपने ग्राहक को उसके खाते के बंद होने के कारण एनएसीएच/ ईसीएस (डेबिट) की वापसी के बारे में पिछले रिकॉर्ड के अनुसार पते पर पंजीकृत/ एडी पत्र भेजकर सूचित करना चाहिए।

जिन विवरणों के कारण एनएसीएच/ ईसीएस डेबिट वापस किए जाते हैं, उनमें विसंगतियों की स्थिति में शाखा को ग्राहक से लगातार संपर्क करना चाहिए और उसे संबंधित संगठन के साथ अपने खाते के विवरणों को अपडेट करने के लिए सूचित करना चाहिए।

एफ. पॉजिटिव पे प्रणाली

पॉजिटिव पे की अवधारणा में बड़े मूल्य के चेक के मुख्य विवरणों की पुनः पुष्टि करने की प्रक्रिया शामिल है। इस प्रक्रिया के तहत, चेक जारीकर्ता एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आदि जैसे चैनलों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस चेक के कुछ न्यूनतम विवरण (जैसे तारीख, लाभार्थी/ आदाता का नाम, राशि आदि) अदाकर्ता बैंक को प्रस्तुत करता है। जिसका विवरण सीटीएस द्वारा प्रस्तुत चेक के साथ जांचा जाता है। किसी भी विसंगति को सीटीएस द्वारा अदाकर्ता बैंक और प्रस्तुतकर्ता बैंक को सूचित किया जाता है, जो उसका निवारण उपाय करेगा।

जी. समीक्षा की आवश्यकता:

₹1 करोड़ और उससे अधिक के चेक के अनादरण, ₹1 करोड़ से कम के चेक के अनादरण और ईसीएस अधिदेशों के बार-बार अनादरण से संबंधित मामलों के लिए दिशानिर्देशों वाली "चेक के अनादरण" संबंधी नीति दिनांक 31.03.2025 तक प्रभावी रहेगी।

"नीति के अनुमोदन के बाद, चेक के अनादरण के संबंध में नियमों एवं विनियमों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया गया कोई भी परिवर्तन नीति का अभिन्न अंग बन जाएगा, जो कि नीति के अगले नवीकरण के समय औपचारिक समावेश रूप से शामिल किए जाने के अधीन होगा।"

उन आपत्तियों/ कारणों की सूची जिनमें ग्राहक स्तर पर कोई चूक नहीं है – उदाहरण स्वरूप पर विस्तृत नहीं।

(बैंकों के समाशोधन गृहों के लिए समान विनियमों एवं नियमों के अनुलग्नक डी में दिए गए विवरण के अनुसार लिखत एवं इमेज-आधारित चेक समाशोधन के लिए लागू)

कोड संख्या	वापस करने का कारण
33	लिखत कटा-फटा है; बैंक गारंटी अपेक्षित
35	समाशोधन गृह की मुहर/तारीख
36	त्रुटिवश से सुपुर्दगी/ हमारे पक्ष में आहरित नहीं है
37	उपयुक्त जोन में प्रस्तुत करें
38	लिखत में असंबद्ध विषय का उल्लेख है
39	इमेज स्पष्ट नहीं है, दस्तावेज के साथ पुनः प्रस्तुत करें
40	दस्तावेज सहित प्रस्तुत करना
41	आइटम दो बार सूचीबद्ध किया गया है
42	दस्तावेज प्राप्त नहीं होना
60	दो बैंकों पर रेखांकित (क्रॉसड)
61	रेखांकन स्टॉप रद्द नहीं किया जाना
62	समाशोधन मुहर रद्द नहीं किया जाना
63	लिखत को विशेष रूप से अन्य बैंक को रेखांकित किया जाना
67	आदाता का पृष्ठांकन अनियमित है/ संग्रहणकर्ता बैंक की पुष्टि आवश्यक है
68	चिन्ह/अंगूठा निशान द्वारा पृष्ठांकन के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा मुहर सहित अधिप्रमाणन अपेक्षित है
70	एडवाइस अप्राप्त
71	एडवाइस पर राशि/नाम में अंतर है
72	प्रायोजक बैंक के साथ आदकर्ता बैंक की धनराशि अपर्याप्त
73	आदाता का बैंक के प्रति अलग डिस्चार्ज अपेक्षित है
74	आगामी माह की पहली तारीख तक देय नहीं होना
75	आदेश /चेक पर प्रति हस्ताक्षर अपेक्षित
76	अपेक्षित जानकारी का अस्पष्ट/सही नहीं होना
80	बैंक का प्रमाणपत्र अस्पष्ट/ अधूरा/ अपेक्षित
81	जारीकर्ता कार्यालय द्वारा ड्राफ्ट खो दिया गया है/जारीकर्ता कार्यालय से पुष्टि की आवश्यकता है
82	बैंक/शाखा ब्लॉक
83	डिजिटल प्रमाणपत्र का वैधीकरण विफल होना
84	अन्य कारण –कनेक्टिविटी फ़ेलयूअर
87	‘आदाता के खाते में जमा हुआ’ - मुहर अपेक्षित है
92	बैंक का शामिल नहीं होना

----- को समाप्त तिमाही के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में आहरित सभी अनादृत चेकों संबंधी विवरण।

शाखा: क्षेत्र: अंचल: फोन नं.

(बी-1) स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में हमारे ग्राहकों द्वारा आहरित अनादृत चेक हो - हमारे ग्राहकों द्वारा आहरित चेक जिनके खाते हमारी शाखाओं में उपलब्ध है।

क्र.स./ बीआर	रिटर्न करने की तारीख	चेक नंबर	चेक की तारीख	राशि	खाता प्रकार एवं नंबर	चेक आहर्ता का नाम	आदाता का नाम	प्रस्तुतकर्ता बैंक	रिटर्न करने का कारण	वह तारीख जिस दिन चेक आदाता (पानेवाले) को रिटर्न किया गया	बैंक/आदाता (पानेवाले) को चेक की वास्तविक सुपुर्दगी की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

बी-2) स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में आहरित अनादृत चेक हो - हमारे ग्राहकों/ स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा हमारे बैंक में मेनटेन खाते में जमा किए गए और अन्य बैंकों द्वारा भुगतान किए बिना लौटाए गए चेक)

क्र.स./ बीआर	रिटर्न करने की तारीख	चेक नंबर	चेक की तारीख	राशि	खाता प्रकार एवं नंबर	चेक आहर्ता का नाम	आदाता का नाम	प्रस्तुतकर्ता बैंक	रिटर्न करने का कारण	वह तारीख जिस दिन चेक आदाता (पानेवाले) को रिटर्न किया गया	बैंक/आदाता (पानेवाले) को चेक की वास्तविक सुपुर्दगी की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

दिनांक:

नाम.....

स्थान:

1. हस्ताक्षरकर्ता

2. हस्ताक्षरकर्ता का

3. पदनाम:

चेक बार-बार अनादृत होने पर ग्राहकों को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप।

महोदय/महोदया,

विषय: आपका बचत खाता/ चालू खाता संख्या _____ और इसकी
अनियमित स्थिति/ असंतोषजनक आचरण

यह पाया गया है कि आपके खाते पर आहरित चेक वित्तीय कारणों से बिना भुगतान के रिटर्न किए जा रहे हैं।

अतः हम निम्नानुसार सूचित करते हैं।

1. नियमों के अनुसार कृपया चेक जारी करने से पूर्व खाते में पर्याप्त शेष राशि रखना सुनिश्चित करें।
2. आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर हमें लिखित रूप में पुष्टि करें कि आप वित्तीय अनुशासन का अनुपालन करेंगे और खाते का संतोषजनक परिचालन सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा हम विवश होंगे।
 - ए. खाते में चेक बुक जारी करना बंद करने के लिए और बिना किसी देरी/संदर्भ के मौजूदा चेक बुक को सरेंडर करने के लिए कहा जा सकता है और/या
 - बी. उक्त खाते को बिना किसी देरी/ संदर्भ के बंद करने और आपके खाते में शेष राशि से हमारे शुल्क/ व्यय आदि प्रभारित के बाद बीसी/ डीडी जारी करने के लिए कृपया इसे नोट करें।

हम आपसे उपर्युक्त स्थितियों से बचने के लिए आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से धनराशि अंतरण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का उपयोग करने का अनुरोध करते हैं।

यदि आपको इस संबंध में किसी मार्गदर्शन/परामर्श की आवश्यकता है, तो कृपया इस पत्र की प्राप्ति से -15- दिनों के भीतर हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें।

भवदीय,

मुख्य प्रबंधक/ वरिष्ठ शाखा प्रबंधक/ प्रबंधक

शाखा का नाम

शाखा का पता

फोन नंबर